

कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/नजूल/2022-23/3240
प्रति,

शिवपुरी दिनांक 03/01/2023

वनमंडलाधिकारी,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

विषय - स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित 1436.19 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ - 1. स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड का पत्र क्रमांक एस.एम.आर.पी.एल./2022/149 दिनांक 15.07.2022 एवं आपका पत्र क्रं. 4959 दिनांक 11.10.2022।
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3230 दिनांक 23.12.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकवा 1436.19 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन दिनांक 15.07.2022 को प्रस्तुत किया है। आवेदित भूमियों के संबंध में, संबंधित तहसीलदार बैराड़ एवं अनुविभागीय अधिकारी पोहरी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। आपके संदर्भित पत्र अनुसार निम्नानुसार भूमियों वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये उपलब्ध है -

क्रं.	तहसील	ग्राम का नाम	हल्का नं.	खसरा नं.	कुल रकवा है.	प्रस्तावित रकवा है.	खसरो का मद
1	बैराड़	वसई	105	137	48.20	16.86	पहाड़
2	बैराड़	वसई	105	150	64.58	64.58	का.का.जंगलखुर्द
3	बैराड़	वसई	105	151	33.90	33.46	का.का.जंगलखुर्द
4	बैराड़	वसई	105	152	1.77	1.77	का.का.जंगलखुर्द
5	बैराड़	वसई	105	153	29.04	22.58	का.का.जंगलखुर्द
6	बैराड़	वसई	105	155	9.00	3.81	पहाड़
7	बैराड़	बूडदा	105	1577	2.22	0.96	पठार
8	बैराड़	बूडदा	105	1578	36.52	9.02	पठार
9	बैराड़	बूडदा	105	1605	2.67	2.67	पठार
10	बैराड़	बूडदा	105	1606	2.87	2.87	पठार
11	बैराड़	बूडदा	105	1607	6.98	3.10	पठार
12	बैराड़	बूडदा	105	1608	1.64	1.64	पठार
13	बैराड़	बूडदा	105	1611	3.07	3.07	पठार
14	बैराड़	बूडदा	105	1614	2.80	2.80	पठार
15	बैराड़	बूडदा	105	1653	1.92	1.92	पठार
16	बैराड़	बूडदा	105	1654	37.90	20.39	पठार
17	बैराड़	बूडदा	105	1655	3.00	3.00	पठार
18	बैराड़	बूडदा	105	1656	36.62	6.32	पठार
19	बैराड़	बूडदा	105	1334	17.28	12.07	चरनोई
20	बैराड़	बूडदा	105	1560	15.85	3.15	पठार
21	बैराड़	बूडदा	105	1561	62.61	51.77	पठार
22	बैराड़	बूडदा	105	1562	58.14	21.04	चरनोई

23	बैराड़	बूडदा	105	1565	4.20	4.20	वरनोई
24	बैराड़	बूडदा	105	1566	15.69	15.69	वरनोई
25	बैराड़	बूडदा	105	1567	4.25	4.25	वरनोई
26	बैराड़	बूडदा	105	1643	48.44	40.66	वरनोई
27	बैराड़	ईमलीपुरा	105	33	12.02	10.28	का.का.
28	बैराड़	ईमलीपुरा	105	2	18.18	18.18	का.का.
29	बैराड़	ईमलीपुरा	105	19	25.34	23.72	का.का.
कुल योग हेक्टेयर				606.70	405.83		

उक्त संबंध में कलेक्टर सिंगरौली ने अपने पत्र क्रं. 2456 दिनांक 22/12/2022 द्वारा जानकारी प्रेषित किया है कि आवेदक स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली में कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया प्रचलित है। यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नाधीन भूमि के हस्तांतरण/आवंटन बावत् एक आपत्ति आवेदन श्री ईशान प्रताप सिंह निवासी ग्वालियर द्वारा पेश किया गया है, जिस पर आपसे प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 6028 दिनांक 20/12/2022 एवं एसडीओ पोहरी से प्राप्त प्रतिवेदन क्रं. 559 दिनांक 21/12/2022 (संलग्न) द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वृक्षारोपण हेतु देने की अनुशंसा की गई है। प्रश्नाधीन भूमि के आवेदकों के बीच प्राथमिकता दिये जाने बावत् शासन को प्रेषित पत्र क्रं. 3019 दिनांक 14/11/2022 एवं पत्र क्रं. 787 दिनांक 21/12/2022 पर संबंधित विभागों से प्राप्त निर्देश अनुसार जिस आवेदक का कार्य आगे है उन्हें प्राथमिकता दी जाना है। तत्संबंध में कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 2456 दिनांक 22/12/2022 द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवेदक स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के कार्य प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त स्थिति में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व वर्णित 405.83 हे. शासकीय राजस्व भूमियों को धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन प्रकरण में औपचारिक अनुमोदन उपरांत वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित / आवंटित की जा सकती है।

कलेक्टर,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
शिवपुरी दिनांक 03/01/2023

पृ. क्रमांक/नजूल/2022-23/3240
प्रतिलिपि -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजस्व विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, खनिज संसाधन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य वनसंरक्षक शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर, जिला सिंगरौली को उनके पत्र क्रमांक 2456 दिनांक 22/12/2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी, पोहरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्राधिकृत अधिकारी, धिरौली कोलमाईन्स, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व संबंधित आवेदकगण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)